By
Rahul Kumar Jha
Dept.of Political Science

Lecture-6

Topic - The Basic Features of Indian Constitution

Class - B.A. Degree - II (Hons, P-III)

Subject - Political Science

Date - 25 August, 2020

By Rahul Kumar Jha

भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता :-

संसदीय प्रभुत्व बनाम - न्यायिक सर्वोच्चता :-

ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। इसकी शक्तियों पर, कम-से-कम सिद्धांत रूप में कोई रोक नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधान का न्यायिक पुनरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है।

अमरीकी प्रणाली में, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है क्योंकि उसे न्यायिक पुनरीक्षण तथा संविधान के निर्वचन की शक्ति प्राप्त है। भारत में संविधान ने मध्यमार्ग अपनाया है।

अपने उसने ब्रिटिश संसद की प्रभुता और अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समझौता किया है। हम विधि के शासन से शासित होते हैं और किसी भी प्रशासनिक कृत्य का न्यायिक पुनरीक्षण विधि के शासन का अनिवार्य अंग है।

इस प्रकार अदालतें न केवल विधि की सांविधानिकता का निर्णय कर सकती हैं अपितु प्रशासनिक कृत्यों के प्रक्रियागत भाग का भी। किंतु, चूँकि हमारा संविधान एक लिखित संविधान है तथा उसमें प्रत्येक अंग की शक्तियों तथा उसके कार्यों की परिभाषा की गई है तथा सीमा निर्धारित की गई है इस-लिए किसी भी अंग के - यहां तक कि संसद के भी - प्रभुत्वसंपन्न होने का कोई प्रश्न नहीं है। संसद तथा उच्चतम न्यायालय, दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च

हैं। जहां उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी गलत को संविधान का उल्लंघन करनेवाला बताकर संसद के अधिकार से बाहर, अवैध और अमान्य घोषित कर सकता है, संसद कतिपय प्रतिबन्धों के रहते हुए संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है।

वयस्क मताधिकार :— डा. अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि 'संसदीय प्रणाली से हमारा अभिप्राय 'एक व्यक्ति, एक वोट' से है। संविधान निर्माताओं ने निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए सार्वभिक वयस्क मताधिकार की पद्धति को अपनाने का निर्णय किया, जिसमें प्रत्येक वयस्क भारतीय को बिना किसी भेदभाव के मतदान के समान अधिकार मुहैया प्राप्त हैं। अधिकांश भारतीय जनता गरीब तथा अनपढ़ थी। इस संदर्भ में यह निर्णय विशेषरूप से उल्लेखनीय था। पश्चिम के समुन्नत देशों में मताधिकार धीरे-धीरे ही दिया गया था

CHAPTER CONTINUES—